संख्या–1215/9–9–15–94ज/14

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, लौनी,
गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2015

विषय– स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण विलेखों पर संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की स्वीकृति धनराशि की उपयोगिता अवधि बढाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–288/न.पा.परि./02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2015–16 दिनांक 24.08.15 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर पालिका परिषद लोनी जनपद गाजियाबाद में स्थानीय नागर निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि शासनादेश संख्या–133/नौ–9–14–94ज/14 दिनांक 15.12.14 द्वारा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 3,00,000,0000/– निदेशक, स्थानीय निकाय के निवर्तन पर रखी गयी थी। उक्त प्रा. विधानित धनराशि में से निदेशक, स्थानीय निकाय के पत्र संख्या–8/3358/122–02प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2014–15 दिनांक 03.03.15 द्वारा धनराशि रू0 03,79,92,233/–व पत्रांक संख्या–8/7934/122–02प्रतिशत/स्टाम्पशुल्क/2014–15 दिनांक 27.03.15 द्वारा धनराशि रू0 40,41,808/– अर्थात कुल धनराशि रू0 4,20,34,041/– नगर पालिका परिषद, लोनी जनपद गाजियाबाद को वितरित की गयी है, जिसकी उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.16 तक बढाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर पालिका परिषद लोनी जनपद गाजियाबाद में स्थानीय नागर निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.16 तक इस शर्त के साथ अंतिम रूप से बढायी जाती है कि निकाय द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.16 तक निर्धारित प्रपत्र पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

go-v

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः-

1-- महालेखाकार,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-- महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 लखनऊ।

3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

4-- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, लौनी गाजियाबाद।

5-- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

6-- मुख्य कोषाधिकारी उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।

7-- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।

8-- वित्त (व्यय--नियंत्रण) अनुभाग--8

9-- गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

go-v